

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 15.03.2019

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.11.2018 के द्वारा डा. लोकेश कुमार अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर का बकाया एवं आगामी वेतन उपस्थिति के आधार पर राजकीय डिस्पेन्सरी, पुलिस एकेडमी, जयपुर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद से अग्रिम आदेशों तक आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. अग्रवाल का बकाया एवं माह मई, 2019 तक का वेतन राजकीय डिस्पेन्सरी, पुलिस एकेडमी, जयपुर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के अधीन उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 3- अधीक्षक, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जयपुर/अजमेर
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/टोंक
- 6- डा. लोकेश कुमार अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर
- 7- रक्षित पत्रावली



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव